

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2023/4913

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 13/10/23

प्रार्थीगण
1 नैनुदेवी पत्नी मगाराम 2 मगाराम पुत्र गंगाराम
3 भूलीदेवी पत्नी मानाराम 4 मालाराम पुत्र
गंगाराम जाति जाट निवासी राईकों की ढाणी
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 हरखाराम पुत्र हेमाराम वगैराह जाति
मेगवाल निवासी राईकों की ढाणी
कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 323/2022

दिनांक- 18/10/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राईकों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 461/376 रकबा 18.5669 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/10/23

क्रमांक :- रीडर/2023/4914 - 4917

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नैनुदेवी पत्नी मगाराम वगैराह जाति जाट निवासी राईकों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हरखाराम पुत्र हेमाराम वगैराह जाति मेगवाल निवासी राईकों की ढाणी कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर